

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक.—एफ 28()परावि/प्रशा—2/ग्रासे/स्था पद/2018/ ३०३० जयपुर दिनांक ०६.०७.२०१८

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद— बाडमेर ।

विषयः— ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी करने वाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी कर पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र.सं.	सर्व श्री/ श्रीमति / सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प. / प०स०)	कहाँ को (ग्रा.प. / प० स०)
1	श्याम खारवाल	प०स० कल्याणपुरा (बाडमेर)	प०स० बालोतरा (बाडमेर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट—

- १ उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण / पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- २ यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय / अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- ३ यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- ४ यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण / पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे ।

WIL
(राजेन्द्र शेखर मवड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि— एसी पी मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने। हेतु प्रेषित है ।

WIL
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव